

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
 27/06/2024 14:52 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/06/2024 Time (समय): 14:30 hrs

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date and Time (दिनांक और समय): 27/06/2024 14:40 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 05 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): विपिन कादयान उप पुलिस अधीक्षक

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 22/10/1984 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))



S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	उपकेन्द्र भद्राचार निरोधक, ब्यूरो सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	उपकेन्द्र भद्राचार निरोधक, ब्यूरो सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8295555511

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	PSI साक्षी			1. थाना शहर रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

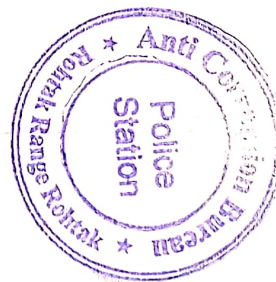
9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
रोहतक मण्डल, रोहतक
श्रीमानजी,

शिकायतकर्ता श्री राजेश पुत्र श्री सतबीर सिंह निवासी फतेहपुरी कालोनी रोहतक द्वारा आरोपित P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक द्वारा परिव्रादी राजेश उपरोक्त के विरुध दर्ज मु0न0 119 दिनांक 15.04.2022 धारा 341/354डी0/506 भा0द0स0 एवं 12 पोक्सो एक्ट थाना ओल्ड सब्जी मण्डी रोहतक में उसकी जमानत कैसिल करवाने का डर दिखाकर 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप की शिकायत आपके कार्यालय से दिनांक 12/06/2022 एवं महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के क्रमांक 7109 दिनांक 26/04/2023 अनुसार पडताल हेतू मुझे प्राप्त हुई थी। जिसकी पडताल के दौरान परिव्रादी राजेश उपरोक्त परिव्रादी राजेश के भाई सोनू पुत्र श्री सतबीर सिंह निवासी फतेहपुरी कालोनी रोहतक, आरोपीया P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक एवं अन्य गवाहन के कथन अंकित किये गये। जो शिकायतकर्ता राजेश उपरोक्त द्वारा P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक से रिश्वत के लेन-देन के सम्बन्ध में शिकायत के साथ लगाई गई आडियो/विडियो रिकार्डिंग पैन ड्राईव एवं पडताल के दौरान उक्त रिकार्डिंग का हिन्दी भाषा में किया गया अनुलेखन पेश किया गया जिसका अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आरोपीया P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक द्वारा परिव्रादी राजेश उपरोक्त के विरुध दर्ज मु0न0 119 दिनांक 15.04.2022 धारा 341/354डी0/506 भा0द0स0 एवं 12 पोक्सो एक्ट थाना ओल्ड सब्जी मण्डी रोहतक में जमानत कैसिल करवाने का डर दिखाकर उससे 5000/- रुपये की रिश्वत मांगकर 7 पी0सी0एक्ट का अपराध किया है। आरोपीया का यह कृत्य Ex. Facie Criminal की श्रेणी मे आता है। इसलिए आरोपीया के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से धाराधीन 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नही है। आरोपीया P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक के विरुध प्राप्त शिकायत की पडताल उपरान्त आरोपीया के विरुध 7 पी0सी0एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया जाने पर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के यदि क्रमांक 10671/शिकायत/214/रोहतक/2022 दिनांक 20.05.2024 के अनुसार आरोपीया P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक के विरुध धारा 7 पी0सी0एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति/आदेश प्राप्त हो चुके है। अतः P/SI साक्षी थाना शहर रोहतक के विरुध धारा 7 पी0सी0एक्ट के तहत अभियोग अंकित किये जाने के लिये यह लेख भेजा जा रहा है। आरोपीया के विरुध उपरोक्त धारा में अभियोग अंकित करके नियमानुसार अफसरानबाला को बजरिया टैलिफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाए, एवं अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी और अधिकारी/कर्मचारी या व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसे भी देख लिया जावे। हस्ता अंग्रेजी V.KADIAN (विपिन कादियान ह0पु0से0) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत दिनांक 10.06.2024

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0न0 15 दिनांक 27.06.2024 धारा 7 P.C Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को बजरिया मेल दवारा सूचना दी गई व असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक भगतसिंह न0 562/RR के हवाले की जाएगी। व सिपाही मोहित न0 2175/सोनीपत के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक रामनिवास न0 341/झज्जर की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Bhagat Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 247RTK to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

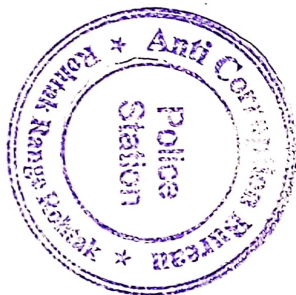
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Ram Niwas

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Ram Niwas

Rank Inspector

No. 341/JJR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):